न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 254 / 2018
GCMS CASE NO-2018/00183

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ जरिये ग्राम विकास अधिकारी,ग्रा0प0 बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्रम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. लालूराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी 7 एमसी ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़

–गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–
1. राकेश झोरड अधिवक्ता निगरानीकर्ता

:: निर्णय :: दिनांक : 18.07.2024

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 लालूराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी 7 एमसी के नाम से पट्टा संख्या 24 पट्टा बुक संख्या 131 दिनांक 22.05.2017 को जारी कर दिया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 को उक्त पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं था तथा ग्राम पंचायत को भी धारा 157 (1) पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायती राज अधिनियम के नियम 152 के तहत उक्त भूखण्ड़ जरिये नीलामी ही आवंटित किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जावे।

निगरानीकर्ता की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 3 को भेजे गये नोटिस विधिवत रूप से तामील होने तथा अखबार प्रकाश होने के बावजुद भी आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे है।

निगरानीकर्ता की ओर से श्री राकेश झोरड एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 3 को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी आदिनांक तक अनुपस्थित रहे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा निगरानीकर्ता के समक्ष शिकायते प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को [illegible] जानकारी हुई। शिकायतों के भौतिक सत्यापन व जांच हेतु एक कमेटी का गठन [illegible] 1.2018 को किया गया था। उक्त जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर [illegible] अप्रेल 2018 में सौपी गई। उक्त रिपोर्ट से निगरानीकर्ता को जैर निगरानी [illegible] सर्वप्रथम ज्ञात हुआ जिस पर विभागीय स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद [illegible] को सूचना दी गई। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझकर देरी नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:00:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 3 को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी आदिनांक तक अनुपस्थित रहे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पट्टे जारी करने की कार्यवाही में विकास अधिकारी पंचायत समिति का कोई हस्तक्षेप/योगदान नहीं होता है। जिससे यह जाहिर होता है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ को ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा जारी किये गये जैर निगरानी पट्टे की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित देरी का कारण उचित व संतोषजनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड़ का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत जारी किया गया है जबकि उक्त नियमों के तहत पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा खुली निलामी द्वारा भूखण्ड़ राशि जमा ना करवा कर सीधे ही पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। ग्राम पंचायत जारी उक्त पट्टो के विरूद्व भी इस न्यायालय में निगरानी दायर की गई है। उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

हमने बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवा कर पट्टा जारी किया जा सकेगा" नियम 157 (क) अनुसार– 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/–राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थिति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अलवोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लाट/भूखण्ड़ आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर जैर निगरानी प्लाट/भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार पंचायत, ग्राम आवंटितियों में 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनूसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो के सदस्यों, गावं कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगो, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों को जनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी विकास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पचांयत द्वारा 300 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्व है। उपुर्यक्त विवेचन अनुसार हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्धन कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्व एवं त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 के नाम से जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 24 बुक संख्या 131 दिनांक 22.05.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बीरमाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार कर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:00:46 IST
Reason: SelfAttested

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner